...केट में आवास बनाने का प्रस्ताव दिया है। फिलहाल ये पॉकिट जेके ग्रुप की जमीन का हिस्सा भी हो सकते हैं क्योंकि जहां यह जमीन बताई जा रही है वहां जेके ग्रुप की ही ज्यादा जमीनें हैं। संजय दुबे भी जेके ग्रुप से जुड़े हुए हैं। हालांकि जमीन की सही स्थिति स्पष्ट नहीं की गई है।

वीसी ने बताया कि शासन से 10 हजार प्रधानमंत्री आवास बनाने का जो लक्ष्य मिला था उसमें इस प्रोजेक्ट को भी जोड़ा जाएगा। तीन अन्य बिल्डरों से भी वार्ता की जा रही है जिन्होंने ऐसे 1150 आवास बनाने का प्रस्ताव दिया था। सभी को मिलाकर डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार की जाएगी। बताते चलें कि केडीए ने पनकी के महावीर नगर विस्तार, रूमा और जाजमऊ में केडीए ने 5040 प्रधानमंत्री आवास जनवरी से बनाने की तैयारी कर चुका है तो दूसरी तरफ 4400 पीएम आवास और बनाने की घोषणा कर दी गई है। नई योजना रूमा और सजारी स्थित हाईवे सिटी पार्ट टू के पास बनाई जाएगी।

कराने से लेकर जल निकासी व सफाई व्यवस्था तक की जिम्मेदारी नगर निगम की होगी। इसके लिए नगर निगम को केडीए ने 1.41 करोड़ रुपए दे दिए हैं। विकास प्राधिकरण ने कुल 15 कॉलोनियों की सूची तैयार की थी जिसे नगर निगम को सुपुर्द किया जाना था। निगम ने 14 कॉलोनियों को यह कहते हुए फिलहाल लेने से इनकार कर दिया था कि अभी यहां पूरी तरह विकास नहीं हुआ है। कई कार्य अधूरे हैं जो नगर निगम के हाथ में आते ही करने पड़ेंगे।

आखिर में यहां से खाली कराई गई जगह पर भी आवास बनाए जाएंगे जो दुर्बल आय वर्ग के लोगों को दिए जाएंगे। इसे प्रधानमंत्री आवास योजना में भी तब्दील किया जा सकता है। सर्वे के बाद यह तय होगा कि बहुमंजिला फ्लैट बनाए जाएं या चार-चार मंजिल के आवास। पूरी तरह पक्के बन गए मकानों को नहीं छुआ जाएगा मगर यहां विकास कार्य कराए जाएंगे। उन्होंने बताया कि निजी कंपनी से यह सर्वे कराया जा रहा है। सर्वे के बाद ही तय होगा कि कुल कितने आवास बन सकते हैं।

सेंट्रल स्टेशन पर मेंटीनेंस को दो घंटे का ब्लॉक

कानपुर। सेंट्रल स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर दो पर मेंटीनेंस के चलते सोमवार सुबह दो घंटे का ब्लॉक लिया गया। हालांकि इससे किसी भी तरह की दिक्कत नहीं हुई। वरिष्ठ स्टेशन अधीक्षक आरएनपी त्रिवेदी ने बताया कि ट्रैक मेंटीनेंस का काम कई दिनों से प्रस्तावित था। सुबह साढ़े नौ से साढ़े ग्यारह बजे के बीच दो पर ट्रेन संचालन बंद किया गया। केवल एक ही ट्रेन को दूसरे प्लेटफॉर्म पर लिया गया।

JK Cement LTD.

CIN:L17229UP1994PLC017199
Registered and Corporate Office:
Kamla Tower, Kanpur-208001, Uttar Pradesh, India
Telephone: +91 512 2371478/81, Fax: +91 512 2399854
Email: shambhu.singh@jkcement.com Web: www.jkcement.com

NOTICE TO EQUITY SHAREHOLDERS/ MEMBERS
Transfer of Shares to the Investor Education and Protection Fund

Members are hereby informed that in terms of Section 124 of the Companies Act, 2013, notified by the Ministry of Corporate Affairs, Government of India (MCA), Equity Shares of the Company in respect of which dividend entitlements have remained unclaimed or unpaid for seven consecutive years or more, are required to be transferred by the Company to the Investor Education and Protection Fund (IEPF) of the Government of India.

Unclaimed or unpaid dividend up to the year ended 31st March, 2010 has been transferred by the Company to the IEPF within the statutory time period and such dividend from the year ended 31st March, 2011 is presently lying with the Company.

In terms of the IEPF Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules, 2016 ('the said Rules') the concerned Members are being provided an opportunity to claim such dividend for the year ended 31st March, 2011 and onwards by sending a letter under their signature so as to reach the Kamla Tower, Kanpur - 208001, Uttar Pradesh,India by Saturday 20th January, 2018. The details of the concerned Members and the shares for transfer to the IEPF are available on the Company's corporate website at the link http://www.jkcement.com/ under the section 'Information about IEPF'. In the event valid claim is not received by Company by that date, the Company shall take action towards transfer of the shares to the IEPF, as stated above, on Wednesday, 31st January, 2018 pursuant to the said Rules. Once these shares are transferred to the IEPF by the Company, such shares may be claimed by the concerned Members only from the IEPF Authority by following the procedure prescribed in the said Rules.

Individual letters in this regard have been sent to the concerned Members at their address registered with the Company. Clarification in this matter, if required, may be sought from Company by sending email at shambhu.singh@jkcement.com/rc.srivastava@jkcement.com or by calling Share Department at telephone nos. 0091-512-2371478/81 Extension Nos. 18322/323.

This notice is published pursuant to the provisions of the IEPF Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules, 2016.

By Order of the Board

Place : Kanpur
(Shambhu Singh)
Date : 19th December, 2017 Asst. Vice President (Legal) & Company Secretary

कैंट में नए ...

कानपुर | प्रमुख संवाददाता

कैन्ट बोर्ड ने लीज रेंट और किराया निर्धारण के लिए स्टैंडर्ड टेबल रेंट अगले साल का तय कर दिया है। साथ ही भवन स्वामियों को इसी आधार पर लीज नवीनीकरण का प्रस्ताव दिया है पर हैरिसगंज में लगातार कामर्शियल हब बनने पर शहर प्रशासन ने हैरिसगंज का सर्किल रेट भी बढ़ाने का प्रस्ताव दिया है। बोर्ड ने इस पर संयुक्त कमेटी बनाने का प्रस्ताव रखा है।

कैन्ट बोर्ड अभी तक सामान्य तौर पर पांच साल में एसटीआर को बदलता है। इस बार नई नीति बनने के चलते 2018 तक के लिए एसटीआर तय किया है। कुछ इलाकों में मामूली इजाफा किया गया है लेकिन वहां के लिए कई श्रेणियां बना दी गई हैं लेकिन कॉमर्शियल भवनों पर दूना एसटीआर तय होगा। उसमें भी भवन के उतने हिस्से को लिया जाएगा जितना हिस्सा कामर्शियल के लिए उपयोग में लाया जा रहा है। उपाध्यक्ष लखन ओमर का कहन... अलग ... 2018 के ... नीति ब... मामूली ब...

कानपुर विकास प्रा...

वाहन स्टैण्ड की नीलामी

कैनाल पटरी स्थित कानपुर विकास प्राधिकरण ... (पार्किंग) वाहन स्टैण्डों की नीलामी दिनांक 2... अघोषित अवकाश के दूसरे दिन अपरान्ह 3.00 ... आधार पर) लाटरी हाल में रिजर्व प्राइज धनांक ... मात्र पर आहूत की जानी है, नीलामी में भाग ... वित्तनियंत्रक, कानपुर विकास प्राधिकरण के पक्ष में ... रु. 1,00,000.00 (रु. एक लाख) का ए... प्राधिकरण कोष में जमा कर उक्त दिनांक व समय ... सकते हैं। उच्चतम बोलीदाता द्वारा उच्चतम बो... नीलामी स्वीकृत के 24 घण्टे व अवशेष 3/4 ... अन्दर एक मुश्त प्राधिकरण कोष में जमा करना ... धनराशि अनुबन्ध समाप्ति के उपरान्त ही वापस ... निर्धारित समस्त टैक्सों का उत्तरदायित्व उच्चतम ... नीलामी के नियम व शर्तें कार्यालय कार्य दिवस में ... देखे/प्राप्त किये जा सकते है। उच्चतम बोली को ... उपाध्यक्ष, कानपुर विकास प्राधिकरण में निहित होगा, ...

Helpline : 2556292, 2557853 • Website : www.kdaindia.co.in